तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 05/2021 बअनवान मृतक लूणाराम कायम मुकाम वगै. बनाम पोकरराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.03.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक लूणाराम के विरूद्ध पारित की गई। वादीगण द्वारा व न्यायालय द्वारा मृतक लूणाराम के वारिसान को रेकर्ड पर लाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। लूणाराम के विधिक वारिसानको पक्षकार बनाये बिना प्रकरण में आगे जो कार्यवाही की है वह कार्यवाही अवैध व विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा जो अनुतोष चाहा गया हैं उक्त अनुतोष से भी हटकर न चाहे गये अनुतोष को न्यायालय द्वारा वादीगण को प्रदान किया हैं। प्रतिवादी लूणाराम का नाम खातेदारी भूमि से हटाने बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा अपीलांट के पिता लूणाराम की खातेदारी भूमि मे से लूणाराम का नाम हटाये जाने बाबत आदेश पारित किये गये। सहायक कलैक्टर भणियाणा के यहा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने के पश्चात प्रकरण सुनवाई हेतु पोकरण से भणियाणा स्थानान्तरित होने पर भणियाणा के न्यायालय द्वारा प्रतिवादी लूणाराम को कोई नोटिस नहीं भेजा गया तथा न ही लूणाराम के अधिवक्ता द्वारा उक्त मुकदमा के बारे में कोई सूचना दी गई। अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 376 की भूमि मे लूणाराम द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आया है जिसको किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा रद् या निरस्त नहीं किया हैं। वादीगण द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद मान्य न्यायालय मे पेश किया हैं वादीगण ने वाद में राज्य सरकार या तहसीलदार को वाद मे पक्षकार तक नहीं बनाया जबकि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद में तहसीलदार/राज्य सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक था उसे पक्षकार बनाये बिना वाद चल ही नही सकता था। वादीगण ने वाद पत्र में मौजा झलारिया के खसरा संख्या 376 रकबा 247 बीघा 08 बिस्वा भूमि हमीराराम के तीनों पुत्रों मंगलाराम, शेराराम व दलाराम का बराबर बराबर हिस्सा होना बताया हैं लेकिन वादीगण ने वादपत्र मे मंगलाराम के वा. रिसान पुत्रों को वाद मे पक्षकार नहीं बनाया हैं वादीगण के कथन. नुसार वादग्रस्त खसरा संख्या 376 मे मंगलाराम व उसकी मृत्यु पश्चात उसके वारिसान का भी हिस्सा हैं मंगलाराम के वारिसान को इस वाद में पक्षकार नही बनाया हैं तथा न ही वाद में मंगला. राम के हिस्से की भूमि के संबंध में कोई उल्लेख किया हैं मंगला. राम के वारिसान वाद मे आवश्यक पक्षकार होने व उसे पक्षकार नही बनाने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न. लिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—DNJ (SC) 2009 Page 244 RBJ 2019 Page 261 RRD 2018 Page 28	

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक लूणाराम के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। RRD 2018 Page 28 (Decree passed by a Court for or against a dead person is a 'nullty') अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो विधि की दृष्टि से दूषित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व वाद संख्या 118/2012 बअनवान पोकरराम वगै. बनाम लूणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर बाद समुचित सुनवाई प्रकरण का गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए वाद के निस्तारण मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय अधिकतम छह माह में पारित करे। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर